Global Journal of Multidisciplinary Studies Available online at www.gjms.co.in
Volume 2, Issue2, January 2014
ISSN: - 2348-0459

महिलाओं के प्रति सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकार

कु ज्योति बघेल

कु शोधार्थी (राजनीति विज्ञान)रानी दुर्गावती विष्वविघालय जबलपुर

मानव समाज के एक हिस्से के दो पहलू है नर और नारी दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। जीवन रूपी रथ के ये दो पहिये के समान है। मानव अधिकारों की सार्वभोमिक धोशणा के भेदभाव कोन करने के सिधांत भी पुष्टि की थी और यह धोशणा की गई थी किस भी मानव स्वतेत्रता जन्म लिये हे तथा गरिमा एवं अधिकार के क्षेत्र में समान है' बिना किसी भेदभाव के जिसमें लिग पर आधारित भेदभाव सम्मिलित है' सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओ के हकदार है। फिर भीइस बात को नही नकारा जा सकता है कि महिलाओ के पिरूध्द भेदभाव होता रहा है' जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्+येक पक्ष में महासभा में 7 नबम्बर 1967 को महिलाओं के विरूध्द भेदभाव की समाप्ति की धोशणा में प्रस्तावित सिधांतो के कार्यान्वियन के लिये महिलाओं के विरूध्द सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर एक अभिसमय 18 दिसम्बर 1979 की महा सभा द्वारा मान्य किया गया। प्रस्तुत षोध पत्र महिलाओ के प्रति सामाजिक भेदभावों एवं न्याय समाज षास्त्रीय विष्लेशण प्रस्तुत कर रही हैं' तथा मानवाधिकार के प्रतिपादन के पुलिस की भूमिका पर भी ध्यानाकर्शित करती है।

जस्टिस देसाई के अनुसार महिला संरक्षण वे लिये बनाये गये कानून केवल मात्र कागजी है क्योंकि न्याय पाने के लिये महिलाआं को लंबी कानूनी प्रति क्रियाओं से गुजरना पडता है अन्यमयस्क न्यायपालिकाका सामना करना पडता है। महिला मानसिकता षिकायत न कर चुपचाप अन्याय सहने की है जिसके फलस्वरूप व विद्रोह न कर चुपचाप अत्याचार व अन्याय सहन करना अधिक पसंद करती है। पुलिस का व्यवहार भी महिलाओं के प्रति अभद्रतापूर्ण एवं अमानवीय होता है। .जिससे .वे स्वये को समाज की अपेक्षा कही ं अधिक प्रताडित एवं अपमानित महसूस करती है' देष भले ही स्वतंत्र हो गया है लेकिन पुलिसिया रवैया आज भी ब्रिटिषकालीन हे। यह एक कर सच्चाई है कि इस देष में सडक से सदन तक मलिाओं के साथ अभद्रपमर्ण व्यवहार किया जाता है। धर बाहर सभी जगह महिला उम्पीडन की षिकार होती हैं। श्री मती इंदिरा गॉधी के विचारों में विष्व में सबसे बडा अल्पसंख्यक समुदाय नारी समुदाय है। नारी वर्ग की क्षमता के पुरूशों को पूर्ण रूप से खिलने में सदा रोका जाता रहा उन पर वैचारिक व अभिव्यक्तात्मक अत्याचार किये गये।

वर्श 1991 में14 महिलाओ के साथ हथियार की नोक पर बलात्कार किया गया है। 16 नाबालिक व 33 नाबालिक लडकियों को बहला–फुसला कर भगा ले जाने के मामले पुलिस में दर्ज हुए। पुलिस के अनुसार धर से भगाई बालिग एवं नाबालिग लडकियों के साथ भी बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करायी गई। इसके अलावा बलात्कार के अधिकांष मामले लेकलाप के भय के कारण पुलिस तक नही पहुॅच पाये व फिर दबाकर रफा– दफा कर दिये गये है।

समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिये ऐसी धटना भी प्रकाष में आती रही है जो महिला उत्पीडन एवं पुलिसिया कार्यवाही में षिथिलता की धोतक है। जैसे पिता द्वारा अपनी अबोध मरसूम पुत्री के साथ बलात्कार करना उपरांत जान से मार डालना उसे बेच देना डरा धमकाकर उसका निरंतर षारीरिक षोशण करना वगैरह खबरों को भी कमी है इस संसार में रिष्तो की पवित्रता मानों खत्म हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है' क्या ऐसे अपराधियों के लिये कोई कठोर सजा नही है। मेरे विचार से यदि पुलिस निश्पक्ष रूप से कार्य करते तो दोशी व्यक्ति को न केवल सजा मिलेगी अपितु अपराध की दर में भी कमी आयेगी।

महिलाओं काअपहरण एक गंभीर सामाजिक अपराध है। महिलाओं के अपहरण कामेच्छा की पूति' बेचने हेतु जबरिया विवाह' वेष्याव्रत्ति आधिपत्य स्थापित करने के उदेष्य से पुरूश द्वारा अपनी उच्चता के अहम भाव की व्रश्टि हेतु किसी परिवार में बदला लेने आदि अनेकानेक वजह होसकते है' पुलिस के साधारण नकारात्मक द्रश्टिकोण व्यवहार के कारण अपहरणकी रिर्पोट नही करायी जाती

है। अपहरण का भय एवंअपहरण्सकताओं को ही मार डालने का भय भी पुलिष में रिर्पोट न करने के कारण है। विवाह एक धार्मिक अनुश्ठान है। आज पुत्र विवाह वर्तमान द्रश्टिकोण में सौदा हे ऐसे व्यक्ति जब प्राप्त दहेज से असंतुश्ट होते है। नवविवाहिता का तिरस्कार अनादर करते हैं' बार यंत्रणसओं के दौर से गुजरना होता है।जब वह यंत्रणाओं के दौर से गुजरती है तब वह विक्षिप्त हो जाती है' ठूठ जाती है या बीमार हो जाती उसे धर से बाहर निकाल दिया जाता है अथवा उसकी हत्या कर दी जाती है। दहेज निवारण हेतु सरकार द्वारा उपाय किये गये है। इस संदर्भ में दहेजत निरोधक अधिनियम ;1961द्ध में पारित किया गया था ताकि इस विभाश्किा से वधू को बचाया जा सकें हालॉकि कुछ कमी अवष्य आयी है' बधुओं की त्रासदी पूर्ण जिदंगी के संबध में लेकिन हालात इतने अच्छे अब भी नहीं है।

मेरठ में पुलिस ने युवतियों कों जिस तरह से पीटा वह मध्ययुगीन बर्बरता की याद दिलाता है। दरअसल तमाम तरह के अपराधो को रोकने में असफल रही पुलिस इसी तरह सक्रियता दिखाना चाहती है। उत्तर प्रदेष सरकार ने तेरठ के एस' पी सिटी उमेद्र श्रीवास्तव; क्षेत्राधिकारी मुकुद द्विवेदी अंस्पेकटर मध्दुमालती व सब इस्पेक्टर ममता गौतम को निलंबित करके यश्ह संदेष दे दिया कि सांस्कतिक पहरेदारी का पुलिस के पास नही है। सोमवार को मेरठ के गांधी पार्क में धावा बोल युवा जोडो और छात्र–छात्राओं को दौडा–दौडाकर पुलिस ने पीटा था। यह मामला बुधवार को सांसद में भी गूजा इससे पहले मीडिया में हाइलाईट होने के बाद मानवाधिकार आयोग व महिला आयोग ने भी इसे गंभीरता से लिया। इसके तुंरत बाद कार्यवाही हुई है। इसका अर्थ यह तो निकला ही जा सकता है कि देष का व्यापक जनमानस ऐसा किसी पहरेदारो के पक्ष में नही है; जो व्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मान और अस्मिता पर हमला करती हो बावूजूद इसके आपरेषन मजून जैसा अभियान चलाना न सिर्फ पुलिस के निचले स्तर को अधिकारियो और कर्मचारियों कों ही नही बन्कि आई; पी; एस; कैडर की मानसिक विपन्नता को उजागर करता है। परमपरा और संस्कति के नाम पर मध्ययुगीन बर्वरता वास्तव में रह–रह सामने आ रही है।

अंतर्राश्ट्रीय महिला वर्श 1975 से षुरूवात हुई। फिर भी क्या महिला अपने अधिकारो के प्रति सजग है। या उसे सजग होने का अधिकार दिया जाता है पुरूश समाज द्वारा महिला अपने अधिकारो को सुरक्षित रखने सामाजिक न्याय प्राप्त करने हेतु सफलता प्राप्त कर रही है। आज के दौर में हमें अपने अधिकारो कव्रव्यों का ज्ञान हाकना अधिक महत्वपूर्ण है; जिससे समाज को नई गति इायाम मिलें इन तमाम संदर्भो के आधार पर विद्वात्जनो षोध कर्ताओं एवं समाज के लिए यह षोध पत्र समाधानलेकर आयेगा उम्मीद कह सकती है इस षोध परक के जरियें कम से कम जनमानस में चंतना जागाना एक आवष्यक कदम होगा।

सदंर्भ–

1– महासभा प्रस्ताव दिनॉक 7 नवं' 1967

2– महासभा प्रस्ताव 34/180 दिनॉक 1979

3– असारी नारी चेतना और अपराध (1929) पंचषील प्रकाष

4– पूर्णवक्त प्र 247&248

5– हिन्दी दैनिक अमर उजाला मुरादा बाद सरक्षरण

6– काइम इन इंडिया 1990

7 – दैनिक भास्कर न्यूज ब्रेक